T.S 121/96

19-10-22 वादी - प्रतिवादी की पैरवी है।

वादी की तरफ से शपथ पत्र के आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दाखिल आवेदन दिनांक 11-1-22 को आज प्रस्तावित किया गया। तथा साथ प्रतिस्थापन आवेदन में वादी सं०1 की पत्नी राजदुलारी देवी टाइपिस्ट की गलती से छूट गया है जिसे वाद में उनके विधिक वारिसानों के रूप में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। वादी के अधिवक्ता का कथन है कि वादी संख्या 1 काशी कुंवर की मृत्यु दिनांक 2-12-21 को हो गई है। इसलिए वादी संख्या 1 काशी कुंवर का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसानों का नाम वाद पत्र अंकित करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया गया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा

लगातार

T.S 121/96

के अंतर्गत हैं। इसलिए वादी का दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 11-1-22 को न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता अपनी उपस्थिति में कार्यालय से वादी संख्या 1 काशी कुंअर का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसों का नाम वाद पत्र में अंकित करावें।

वास्ते उपस्थिति दिनांक 15-11-22

लेखा०
ह०
जज।